संख्या-29/2022/1456/तेइस-14-2021-142आ0पू0वि0नि0/2014

प्रेषक,

राजेश कुमार पाण्डेय,
अनु सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

मुख्य विकास अधिकारी,
अयोध्या, गोण्डा, गाजीपुर, जौनपुर,
बलिया, एवं मऊ।

लोक निर्माण अनुभाग-14 **लखनऊ: दिनांक- 09 मार्च, 2022**

विषय- पूर्वान्चल विकास निधि (राज्यांश) अनुदान संख्या-83 के अन्तर्गत जनपद- अयोध्या, गोण्डा, गाजीपुर, जौनपुर, बलिया, एवं मऊ की 27 परियोजनाओं के क्रियान्वयन हेतु चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 में अवशेष धनराशि का आवंटन।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य विकास अधिकारी, अयोध्या के पत्र संख्या-1699/1ए, दिनांक 22.06.2021, मुख्य विकास अधिकारी, गोण्डा के पत्र संख्या-3040/1सी, दिनांक 26.07.2021, पत्र संख्या-4058/1सी, दिनांक 13.10.2021, जिलाधिकारी, गाजीपुर का पत्र संख्या-1281/18मा0का0, दिनांक 08.05.2021, मुख्य विकास अधिकारी, जौनपुर का पत्र संख्या-3133/पू0वि0नि0राज्यांश/12-13, दिनांक 24.08.2021, मुख्य विकास अधिकारी, बलिया का पत्र संख्या-1847/पू0वि0नि0, दिनांक 13.09.2021, पत्र संख्या-1885पू0वि0नि0, दिनांक 16.09.2021, पत्र संख्या-2067/पू0वि0नि0, दिनांक 27.09.2021, पत्र संख्या-2291/पू0वि0नि0, दिनांक 22.10.2021, पत्र संख्या-2623/पू0वि0नि0, दिनांक 23.11.2021, मुख्य विकास अधिकारी, मऊ का पत्र संख्या-869/पू0वि0नि0(राज्यांश)/2020-21, दिनांक 07.07.2021 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा विषयांकित जनपदों की कतिपय परियोजनाओं का उपयोगिता प्रमाण-पत्र आदि उपलब्ध कराते हुए अवशेष धनराशि अवमुक्त किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि निम्नांकित तालिका के कॉलम संख्या-2 में अंकित विषयांकित जनपदों की 27 परियोजनाओं के क्रियान्वयन हेतु चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 में अगली किस्त के रूप में धनराशि रू0 7,98,83,200.00 (रूपये सात करोड़ अट्ठानवे हजार तिरासी हजार दो सौ मात्र) अवमुक्त करते हुये आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:-

धनराशि (लाख रू0 में)

क्र0 सं0	परियोजना का नाम/ जनपद	मूल शासनादेश संख्या एवं दिनांक	लम्बाई (कि0मी0)	प्रशासकीय/प्रावैधिक स्वीकृति	कुल अवमुक्त धनराशि	वित्तीय वर्ष 2021-22 में धनराशि का आवंटन
1	2	3	4	5	6	7
1	धमौरा पी0एम0जी0एस0वाई0 से माइनर होते हुए मवई पटरंगा मार्ग तक सम्पर्क मार्ग। **जनपद-अयोध्या**	86/2016/177/23-14-2016-85आ0पू0 वि0नि0/2015 दिनांक 30.03.2016	3.30	170.22	153.18	14.606

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

2	प्रधनमंत्री सडक से बिडवा गांव तक सम्पर्क मार्ग का निर्माण कार्य **जनपद-गोण्डा**	210/2015/429/23-14-2015-134आ0पू0 वि0नि0/2014 दिनांक 30.03.2015	3.00	224.46	205.3738	18.80
3	ढोंगवा से बानधनुहिया होते हुए नकहा होकर खरगूपुर स्कूल तक सम्पर्क मार्ग का निर्माण। **जनपद-गोण्डा**	222/2015/499/23-14-2015-91आ0पू0 वि0नि0/2012 दिनांक 30.03.2015	2.00	103.69	64.27	31.70
4	अगस्ता पहलवानपुर पिच रोड से कराह तक सं0 मार्ग **जनपद-गाजीपुर**	223/26-ब0प्र0-2014-120आ0/2013 दिनांक 04.03.2014	5.00	229.75	91.90	31.70
5	ग्राम सभा धनेशपुर हरसरपुर होते हए कोडरी मलेठी तक सं0 मार्ग **जनपद-गाजीपुर**	215/2015/504/23-14-2015-142आ0पू0 वि0नि0/2014 दिनांक 30.03.2015	2.50	133.23	7.73	31.70
6	तांती बलोलपुर चट्टी से तांती गांव व गुबेर राजभर बस्ती होते धनेशपुर बहलोलपुर पिच रोड तक सं0 मार्ग **जनपद-गाजीपुर**	224/2015/504/23-14-2015-142आ0/2014 दिनांक 30.03.2015	2.50	132.16	60.59	31.70
7	ग्राम सभा धनेशपुर से नहर की पुलिया होते हुए मलेठी हरसरपुर गांव तक सं0 मार्ग **जनपद-गाजीपुर**	तदैव	4.00	210.77	7.73	31.70
8	कुन्दनपुर कोटियां गांव से मरदह रजवाहा होते हुए अडरियानहर की पटरी हरदासपुर पिच रोड तक सं0 मार्ग **जनपद-गाजीपुर**	214/2015/502/23-14-2015-127आ0/2014 दिनांक 30.03.2015	6.00	332.20	16.61	31.70
9	भरतपुर महन पलिवार सम्पर्क मार्ग। **जनपद-गाजीपुर**	127/2015/284/23-14-2015-71आ0/2014 दिनांक 10.03.2015	4.50	242.24	145.34	31.70
10	करसाही गांव से बद्दूपुर गाजीपुर आजमगढ़ मार्ग तक सं0 मार्ग। **जनपद-गाजीपुर**	138/2015/296/23-14-2015-70आ0पू0वि0 नि0/2012 दिनांक 10.03.2015	5.00	226.33	45.266	31.70
11	ग्रामसभा उचउ सुलेमापुर होते हुए सराय मुबारक ग्राम के नहर की पुलिया तक सं0 मार्ग का निर्माण **जनपद-गाजीपुर**	224/2015/504/23-14-2015-142आ0/2014 दिनांक 30.03.2015	2.50	133.70	61.208	31.70
12	चक अब्दुल सतार से औरंगाबाद बिन्द बस्ती होते हुए यादव बस्ती तक सं0 मार्ग **जनपद-गाजीपुर**	78/2016/192/23-14-2015-14आ0पू0 वि0नि0/2015 दिनांक 30.03.2016	2.00	105.36	52.67	31.70

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

13	जरगो से बलुआ होते हुए रानीपुर कहोतरी सं0 मार्ग तथा 03 नं0-900 एम0 एम0 व 09 नं0-350 एम0एम0 डाया हूयूम पाइप पुलियों का निर्माण **जनपद-गाजीपुर**	150/2016/349/23-14-2016-258आ0पू0 वि0नि0/2015 दिनांक 31.03.2016	6.00	294.13	176.48	31.70
14	जंगीपुर पारा मार्ग के किमी0 1 से ब्रहमस्थान सं0 मार्ग **जनपद-गाजीपुर**	132/2016/337/23-14-2016-158आ0पू0 वि0नि0/2015 दिनांक 31.03.2016	3.50	163.73	98.24	31.70
15	ताडीघाट रजवाहा (किमी0 5.55 से किमी 10.240) ताजपुर से मतसा जीयनपुर सब्बलपुर कलां देवरिया होते हुए पाह सैय्यदराजा तक सं0 मार्ग **जनपद.गाजीपुर**	27/2016/89/23-14-2016-61आ0पू0 वि0नि0/2015 दिनांक 19.02.2016	4.65	252.89	25.29	31.70
16	कांशीराम आवास सं0 मार्ग से गोंडा सोहिलापुर गौसाबाद सं0 मार्ग व 400 मी0 यू0 टाईप ड्रेन का निर्माण। **जनपद-गाजीपुर**	397/2016/1145/23-14-2016-2आ0पू0वि0नि0/16 दिनांक 22.11.2016	5.00	270.94	154.18	31.70
17	अकबरपुर बघाई सं0 मार्ग से भभौरा तक सं0 मार्ग का निर्माण कार्य। **जनपद-गाजीपुर**	398/2016/1171/23-14-2016-09आ0पू0वि0नि0/16 दिनांक 24.11.2016	1.50	73.76	14.75	31.70
18	रोहसा से अर्गुपुर कला सम्पर्क मार्ग के मध्य कुंवर नदी पर पुल का निर्माण पहुंच मार्ग एवं अतिरिक्त पहुंच मार्ग के निर्माण कार्य **जनपद-जौनपुर**	261/26ब0प्र0-2013-155 आ0/2012 दिनांक 31.03.2013	2.50	191.26	78.25	31.70
19	टाडा ब्रम्ह बाबा के स्थान पर पुलिया का निर्माण । **जनपद-बलिया**	199/26-ब0प्र0/2014-108आ0पू0वि0नि0/2013 दिनांक 28.02.2014	0.00	71.10	49.77	20.33
20	बलिया सोनौली मार्ग से कटठया धनौती सलेम मार्ग पर पुलिया का निर्माण। **जनपद-बलिया**	तदैव	0.00	74.91	52.434	21.476
21	रसड़ा कोटवारी मार्ग से डेहरी सम्पर्क मार्ग । **जनपद-बलिया**	159/2015/331/23-14-2015-102आ0पू0वि0 नि0/14, दिनांक 18.03.2016	2.000	178.41	17.841	31.70
22	रसड़ा तिराही मार्ग से बनौली तक सम्पर्क मार्ग का निर्माण कार्य । **जनपद-बलिया**	467/2015/1289/23-14-2015-21आ0पू0वि0नि0/15, दिनांक 15.12.2015	4.000	222.61	44.50	31.70

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

23	खड़गपुर से जकरिया सम्पर्क मार्ग वाया परसिया एवं नाले पर पुलिया निर्माण का कार्य **जनपद-बलिया**	211/2015/526/23-14-2015-102आ0/14, दिनांक 30.02.15	4.00	344.14	17.20	31.70
24	पकवाइनार चन्द्रवार राघोपुर मार्ग से परसिया वाया देवसलपुर सम्पर्क मार्ग एवं नाले पर पुलिया निर्माण का कार्य **जनपद-बलिया**	तदैव	4.00	340.36	17.00	31.70
25	पी0एम0जी0एस0आई0 अमरहा से बसन्तपुर चौहान बस्ती तक सम्पर्क मार्ग का निर्माण कार्य । **जनपद-बलिया**	तदैव	2.00	155.33	7.77	31.70
26	कर्मी से कारूवीर होते हुए सुल्तानीपुर तक लेपन कार्य। **जनपद-मऊ**	79/2016/198/23-14-2016-30आ0पू0वि0नि0/15, दिनांक 30.03.16	1.50	62.43	31.21	26.22
27	खरिहानी चिरैयाकोट मार्ग से औसतपुर होते हुए आजमगढ़ सीमा तक लेपन कार्य । **जनपद-मऊ**	तदैव	1.90	93.91	46.96	31.70
		84.85	**84.85**	**5034.02**	**1743.743**	**798.832**

3- यह धनराशि केवल उक्त परियोजनाओं पर ही मानक/विशिष्टियों के अनुरूप व्यय की जायेगी तथा इसका उपयोग अन्य किसी प्रयोजन के लिए नहीं किया जायेगा। इससे इतर व्यय वित्तीय अनियमितता होगी, जिसका सम्पूर्ण दायित्व आपका होगा।

4- परियोजनाओं का क्रियान्वयन निम्नांकित शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन किया जायेगा:-

(1) मुख्य विकास अधिकारी का दायित्व होगा कि स्वीकृत कार्य के अवशेष कार्य कड़ी निगरानी में समयबदध ढंग से पूर्ण कराये जायँ। यह सुनिश्चित किया जाय कि आवंटित धनराशि का दुरूपयोग न हो।

(2) उक्त परियोजनाओं पर होने वाले व्यय को स्वीकृत धनराशि तक ही सीमित रखा जायेगा, कार्य की विशिष्टियां, मानक गुणवत्ता की सम्पूर्ण जिम्मेदारी मुख्य विकास अधिकारी की होगी तथा वे यह भी सुनिश्चित करेंगे कि फण्डिंग की डुप्लीकेसी न हो तथा कार्य समय से पूरा हो। इसके लिए वे पूर्णतया उत्तरदायी होगें।

(3) आवंटित धनराशि का आहरण करने के पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि पूर्व आवंटित धनराशि का सदुपयोग कर लिया गया है एवं कार्य का स्थलीय निरीक्षण कर लिया गया है तथा आवंटित धनराशि से कार्य पूर्ण कर लिया जायेगा।

(4) स्वीकृत धनराशि एकमुश्त न आहरित कर कार्य की आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय की जायेगी तथा धनराशि बैंक में न रखी जाय। स्वीकृत धनराशि अनुमोदित कार्यो पर ही व्यय की जायेगी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(5) परियोजनान्तर्गत विभिन्न निर्माण कार्य/व्यय शासन द्वारा स्वीकृत आगणन के अनुसार ही किये जायेगें।

(6) निर्माण कार्य में प्रयोग की जाने वाली सामग्री का क्रय स्टोर परचेज नियमों तथा समय-समय पर जारी तत्सम्बन्धी शासनादेशों एवं नियमों के अनुसार ही किया जायेगा तथा कार्य के अनुमान/आगणन पर यथा स्थिति सक्षम अधिकारी की तकनीकी स्वीकृति प्राप्त कर ली जायेगी। उक्त परियोजनाओं के लिए स्वीकृत धनराशि का व्यय परियोजनाओं की विस्तृत ड्राइंग/डिजाइन व सर्वेक्षण रिपोर्ट तथा सक्षम अधिकारी की तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात सुनिश्चित किया जायेगा।

(7) स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष योजनावार वित्तीय एवं भौतिक प्रगति आप द्वारा कार्यदायी संस्था से प्राप्त कर प्रत्येक माह की 07 तारीख तक प्रमुख सचिव, लोक निर्माण अनुभाग-14, उ0प्र0 शासन, लखनऊ को निर्धारित प्रपत्र पर भेजी जायेगी।

(8) मुख्य विकास अधिकारी द्वारा स्वीकृत धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र बजट मैनुअल के प्राविधानों के अनुसार अनिवार्य रूप से नियत समय पर महालेखाकार, उ0प्र0 व उ0प्र0 शासन को प्रेषित किये जायेगें।

(9) स्वीकृत परियोजनाओं के लिए आवंटित धनराशि का उपयोग दिनांक 31.03.2022 तक अवश्य कर लिया जायेगा तथा परियोजनाओं में जनपद स्तर पर कोई संशोधन/परिवर्तन नहीं किया जा सकेगा।

(10) परियोजनाओं हेतु स्वीकृत की जा रही धनराशि के संबंध में कार्यदायी संस्था फार्म-42 आई पर उपयोगिता प्रमाण-पत्र उपलब्ध करायेगी जो स्थलीय निरीक्षण कराकर कार्य मानक/विशिष्टियों के अनुरूप पूर्णतया संतोषजनक पाये जाने पर उपयोगिता प्रमाण-पत्र अपने प्रतिहस्ताक्षर के उपरान्त फोटोग्राफ्स सहित प्रमुख सचिव, लोक निर्माण अनुभाग-14, उ0प्र0 शासन, लखनऊ को प्रेषित करेंगे तथा उसकी प्रति मण्डलायुक्त को उपलब्ध करायेंगे। परियोजना पूर्ण होने के उपरान्त यदि कोई धनराशि अवशेष रह जाती है तो अवशेष बच रही धनराशि को ट्रेजरी चालान के माध्यम से कोषागार में सुसंगत लेखा शीर्षक के अन्तर्गत जमा कराकर ट्रेजरी चालान की प्रमाणित प्रति शासन को उपलब्ध करायी जायेगी ।

(11) मण्डलायुक्त/मुख्य विकास अधिकारी परियोजनाओं के निर्माण कार्य में गुणवत्ता एवं तदुपरांत सृजित परिसम्पत्तियों के रखरखाव की भी समुचित व्यवस्था कर लेंगें, यह भी सुनिश्चित कर लिया जाय कि उक्त कार्य की वर्तमान तथा भविष्य में अन्य योजनाओं में पुनरावृत्ति न हो।

(12) परियोजनाओं की मात्राओं को निर्माण के समय सुनिश्चित किये जाने हेतु कार्यदायी संस्था के सक्षम अधिकारी पूर्णतया उत्तरदायी होंगे।

(13) स्वीकृत की जा रही धनराशि व्यय/उपयोग हेतु भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा एस0सी0एस0पी0/टी0एस0पी0 हेतु निर्धारित मानक तथा दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

5- उपर्युक्त परियोजनाओं के समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण क्रियान्वयन के लिए आप उत्तरदायी होंगे एवं तदनुसार कार्य कराने हेतु कार्यदायी संस्था से प्रभावी समन्वय बनाये रखेंगे ।

6- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-83 के अन्तर्गत "पूँजीलेखा-4575-अन्य विशेष क्षेत्र कार्यक्रम पर पूँजीगत परिव्यय-02-पिछडे

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

क्षेत्र-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-03-पूर्वांचल की विशेष योजनाएं-24-वृहत् निर्माण कार्य" में उपलब्ध धनराशि से वहन किया जायेगा।

7- यह आदेश वित्त (आय व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-3/2021/बी-1-375/दस-2021-231/2021, दिनांक 22 मार्च, 2021 में प्रतिनिधानित अधिकारों के अन्तर्गत जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

राजेश कुमार पाण्डेय
अनु सचिव।

संख्या-29/2022/1456(1)/23-14-2021-तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उ0प्र0, प्रयागराज ।
2- महालेखाकार, लेखा परीक्षा प्रथम व द्वितीय, प्रयागराज ।
3- सम्बन्धित मण्डलायुक्त।
4- सम्बन्धित जिलाधिकारी/मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी।
5- प्रमुख अभियन्ता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ।
6- मुख्य अभियन्ता (मुख्यालय-1) लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
7- सम्बन्धित क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग।
8- सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग।
9- वरिष्ठ आडिट आफीसर (आडीटर प्लानिंग) कार्यालय महालेखाकार, लेखा परीक्षा प्रथम सत्यनिष्ठ भवन, 15 नार्थहिल रोड, प्रयागराज ।
10- वेब अधिकारी, लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
11- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-8/लोक निर्माण अनुभाग-10
12- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

राजेश कुमार पाण्डेय
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।